

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद।

(छोटानागपुर काश्तकारीअधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)


एम० आर० केश नं०— 41/2023-24

—:आदेश:—

अभिलेख आज उपस्थापित। आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर के पत्रांक— 31, दिनांक— 05.01.2024 से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक सुरेन महतो, पिता— स्व० शिव चरण महतो, साकिम— भेलाटॉड, थाना— बरवाअड्डा, जिला— धनबाद अपनी जमीन मौजा— भेलाटॉड, मौजा नं०— ८९, पुराना खाता सं०— 48, पुराना प्लॉट सं०— 762, नया खाता सं०— 61, नया प्लॉट सं०— 1106, रकवा— 4.95 डिसमील भूमि क्रेता नरेश कुमार, पिता— गोपाल चन्द्र महतो, साकिम— गोन्दनवाडीह, थाना— तोपचॉची, जिला— धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते हैं। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में 'प्रतिवेदित' किया है कि विक्रेता एवं क्रेता एक ही जाति के कुर्मी हैं तथा विक्रेता थाना— बरवाअड्डा एवं क्रेता थाना— तोपचॉची, जिला— धनबाद के निवासी हैं। जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास $4.43^{1/2}$ एकड़ शेष भूमि बचती है। अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धनबाद।


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धनबाद।